

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2016

आय-कर

का.आ. 3080(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 44कख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (तेईसवाँ संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2017 से प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 के परिशिष्ट 2 में, प्ररूप सं. 3गघ में, भाग ख में, खंड 13 में, उपखंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

“(घ) क्या धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय-कर संगणना और प्रकटन मानकों के उपबंधों की अनुपालना के लिए लाभ या हानि में कोई समायोजन करना अपेक्षित है ;

(ङ) यदि पूर्वोक्त (घ) का उत्तर हां में है तो ऐसे समायोजनों के ब्यौरे दें :

		लाभ में वृद्धि (रुपए में)	लाभ में कमी (रुपए में)	शुद्ध प्रभार (रुपए में)
आईसीडीएस 1	लेखांकन नीतियां			
आईसीडीएस 2	माल सूचियों का मूल्यांकन			
आईसीडीएस 3	संनिर्माण संविदाएं			

आईसीडीएस 4	राजस्व मान्यता			
आईसीडीएस 5	अर्भूत नियत आस्तियां			
आईसीडीएस 6	विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन			
आईसीडीएस 7	सरकारी अनुदान			
आईसीडीएस 8	प्रतिभूतियां			
आईसीडीएस 9	उधार लेने की लागत			
आईसीडीएस 10	उपबंध, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक आस्तियां			
	योग			

(च) आईसीडीएस के अनुसार प्रकटन :

(i)	आईसीडीएस 1-	लेखांकन नीतियां
(ii)	आईसीडीएस 2-	माल सूचियों का मूल्यांकन
(iii)	आईसीडीएस 3-	संनिर्माण संविदाएं
(iv)	आईसीडीएस 4-	राजस्व मान्यता
(v)	आईसीडीएस 5-	अर्भूत नियत आस्तियां
(vi)	आईसीडीएस 7-	सरकारी अनुदान
(vii)	आईसीडीएस 9-	उधार लेने की लागत
(viii)	आईसीडीएस 10-	उपबंध, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक आस्तियां ।”

[अधिसूचना सं. 88/2016/फा. सं. 133/23/2015-टीपीएल]

पितम्बर दास, निदेशक (कर नीति और विधान)

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 2979(अ) तारीख 16/9/2016 द्वारा किया गया था ।